



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228699
CG-DL-E-03082021-228699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]
No. 309]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/29.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में,-
 - I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

- i. खंड (घ) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (7)”, शब्दों, चिह्नों और अंकों “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (11)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
 - ii. खंड (डii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 “(डii) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) होने के नाते साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) के संबंध में, “नियंत्रण में परिवर्तन” का अर्थ है:-
 (i) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो ऐसे में नियंत्रण में परिवर्तन का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में इसके लिए दिया हुआ है;
 (ii) किसी दूसरे मामले में, निगमित निकाय के नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटररेस्ट) में परिवर्तन।
स्पष्टीकरण: उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों “नियंत्रक हित” का अर्थ है - ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, जिससे निगमित निकाय में कम से कम इक्यावन प्रतिशत तक के मताधिकार मिल जाएं;”
 - iii. खंड (छ) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)”, शब्दों, चिह्नों और अंकों “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
 - iv. खंड (ज) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 “(ज) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी” (साख निर्धारण एजेंसी) का अर्थ है - ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट), जो बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की रेटिंग का कामकाज कर रहा हो, या कामकाज करने का प्रस्ताव कर रहा हो।”
 - v. खंड (न) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6”, शब्दों, चिह्नों और अंकों “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(77)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- II. विनियम 2 में, उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्-
 “(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए और अपरिभाषित, किंतु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), अथवा उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए दिए हुए हों।”
 - III. विनियम 4 में, खंड (क) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क”, शब्दों, चिह्नों और अंकों “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(72)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
 - IV. विनियम 5 में, खंड (क) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956”, शब्दों, चिह्नों और अंकों “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
 - V. विनियम 9 में,
 - i. खंड (च) में, शब्द और चिह्न “सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) के माध्यम से प्रस्तावित”, शब्दों और चिह्नों “बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
 - ii. खंड (च) के परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनार्थ, वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्युलेटर) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) द्वारा दी गई रेटिंग संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामक या प्राधिकरण के दायरे में आएंगी।”

VI. विनियम 29 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ग) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) के कामकाज से संबंधित किसी मामले के संबंध में निवेशकों, ग्राहकों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों का अन्वेषण (की तहकीकात) करना, जहाँ तक कि ऐसी शिकायतें बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की रेटिंग से संबंधित हों;”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./174/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7 जुलाई 1999 की का.आ. सं. 547(अ) के अधीन जारी हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात्,-
 - (क) 28 मार्च 2000 को का.आ. सं. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा
 - (ख) 29 मई 2001 को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा
 - (ग) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
 - (घ) 19 फरवरी 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 203(अ), द्वारा
 - (ङ) 1 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1160(अ), द्वारा
 - (च) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा
 - (छ) 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1454(अ), द्वारा
 - (ज) 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
 - (झ) 19 मार्च 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-2010/30/199044, द्वारा
 - (ञ) 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
 - (ट) 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/10/21232, द्वारा
 - (ठ) 27 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/31/39022, द्वारा

- (ड) 8 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- (ढ) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (ण) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- (त) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018-15, द्वारा
- (थ) 11 सितम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/36, द्वारा
- (द) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/34, द्वारा
- (ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (न) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/23, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd August, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CREDIT RATING AGENCIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/29.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, —
 - I. in regulation 2, in sub-regulation (1),
 - i. in clause (d), the words and symbols “clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be replaced with the words and symbols “clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”
 - ii. in clause (eii), in sub-clause (i), the words and symbols “Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997” shall be replaced with the words and symbols “regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act”

- iii. in clause (g), the words and symbols “Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be replaced with the words and symbols “Companies Act, 2013 (18 of 2013)”
- iv. in clause (h), the words “offered by way of public or rights issue” shall be replaced with the words “that are listed or proposed to be listed on a stock exchange recognized by the Board”
- v. in clause (t), the words and symbols “section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be replaced with the words and symbols “section 2(77) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”.
- II. in regulation 2, sub-regulation (2) shall be substituted with the following namely—
- “The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.”.
- III. in regulation 4, in clause (a), the words and symbols “section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be replaced with the words and symbols “section 2(72) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”.
- IV. in regulation 5, in clause (a), the words and symbols “Companies Act, 1956” shall be replaced with the words and symbols “Companies Act, 2013 (18 of 2013)”.
- V. in regulation 9,
- i. in clause (f), the words “offered by way of public or rights issue” shall be replaced with the words “that are listed or proposed to be listed on a stock exchange recognized by the Board”
- ii. before the proviso to clause (f), the following shall be inserted —
- “*Explanation:* — For the purposes of this clause, the ratings undertaken by a credit rating agency under the respective guidelines of a financial sector regulator or authority shall be under the purview of the respective financial sector regulator or authority.”.
- VI. in regulation 29, in sub-regulation (2), clause (c) shall be substituted with the following namely—
- “(c) to investigate into complaints received from investors, clients or any other person on any matter having a bearing on activities of credit rating agency in so far as the complaints relate to the rating of securities that are listed or proposed to be listed on a stock exchange recognized by the Board;”.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADV.T.-III/4/Exty./174/2021-22]

Footnotes:

1. The principal regulations, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547 (E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.
2. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on,-
 - (a) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in Official Gazette vide S.O. No. 278(E).
 - (b) May 29, 2001, by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) (Regulations), 2001 vide S.O. No. 476 (E).
 - (c) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. No.1045 (E).

- (d) February 19, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 203 (E).
- (e) October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1160 (E).
- (f) March 10, 2004 by Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S. O. No. 398 (E).
- (g) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1454(E).
- (h) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide no. LAD/ NRO/GN/2008/11/126538.
- (i) March 19, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2009-2010/30/199044.
- (j) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
- (k) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011- 12/10/21232.
- (l) December 27, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/ GN/2011-12/31/39022.
- (m) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification no. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (n) December 08, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.
- (o) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.
- (p) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018-15.
- (q) September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/36.
- (r) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/34.
- (s) April 17, 2020 by the by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (t) May 05, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.